न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर०ए०एस०)

जीसीएमएस नं. 2025/258
मुकदमा नम्बर 76/2025

दर्ज दिनांक– 23.05.2025

श्रवणी देवी पत्नी ताराचन्द,जाति जाट निवासी खेदडो की ढाणी, जाखल,तहसील नवलगढ, जिला झुझुंनू

–आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

–अनावेदक

वकील आवेदक : – स्वंय द्वारा प्रस्तुत
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 23.05.2025**

प्रार्थी द्वारा स्वंय उपस्थित हो एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, ग्राम खिरोड के खसरा नं. 275,1323/208,214,213 मे राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम श्रवणी देवी पत्नी जगुराम के स्थान पर श्रवणी देवी पत्नी ताराचन्द दर्ज कर दुरूस्त किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रा. पत्र के साथ आधार कार्ड की प्रति, जमाबन्दी संवत् 2075–2078 ग्राम जाखल खाता सं. 439 तथ 180 की पेश की गई। पत्रावली प्रार्थीया द्वारा स्वीकार किया गया है कि, उसके राजस्व रिकार्ड मे उसके पूर्व पति का नाम जगुराम दर्ज है जबकी उसके अन्य पहचान दस्तावेजों मे उसके पति का नाम ताराचन्द दर्ज है। अतः उसके पूर्व पति जगुराम की फौत हो चूकी है। अब वह अपनी खातेदारी के सभी राजस्व रिकार्ड में अपने पहचान पत्रों में दर्ज नाम ही दर्ज करवाना चाहती है। प्रार्थीया अपने राजस्व रिकार्ड में अपने पति का नाम दुरूस्त करवाने की अधिकारी है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय और न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम खिरोड के खसरा नं. 275,1323/208,214,213 मे राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम श्रवणी देवी पत्नी जगुराम के स्थान पर श्रवणी देवी पत्नी ताराचन्द दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज़ दिनांक 23.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू